सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Visit/8/VC/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New
Delhi-110003
Dated: 03.08.2017

To,

1. The Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal (Madhya Pradesh)

2 The Director General of Police,
Police Headquarters,
Government of Madhya Pradesh,
Swami Dayanand Nagar,
Jahangirabad, City-Bhopal
(Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Madhya Pradesh State from 19.05.2017 to 23.05.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to Madhya Pradesh from 19.05.2017 to 23.05.2017 for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission within 15 days.

5250-53
8/8/17
जारी किया
ISSUED

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The District Collector,
District-Chhindwara
(Madhya Pradesh)

2. The Superintendent of Police,
District- Chhindwara,
(Madhya Pradesh)

3. NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

प्रवास प्रतिवेदन

-:: TOUR – REPORT DATED 19/05/2017 TO 23/05/2017 ::-

{DISTRICT CHHINDWARA} जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/013 दिनाँक 12/05/2017 के अनुसार दिनाँक 19 मई2017 से 23 मई 2017 तक जिला छिन्दवाडा (मध्यप्रदेश) का प्रवास किया गया। आयोग मुख्यालयद्वारा सूचना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :-

दिनाँक19/05/2017 - FRIDAY

1) दिल्ली से वायुमार्ग से प्रस्थान कर नागपुर आगमन, तदुपरांतसडक मार्ग से छिन्दवाडा के लिये प्रस्थान रात्रि विश्राम छिन्दवाडा में।

दिनाँक20/05/2017 - SATURDAY

2) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्थानीय विश्राम भवन में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छिन्दवाड़ा के साथ बैठक में आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों पर हुई कार्यवाही की पत्रवार समीक्षा की गई। सहायक आयुक्त द्वारा बताया गया कि आयोग से जो पत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर के माध्यम से निर्देशित किया गया है। जैसे जैसे कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसकी सूचना निरंतर आयोग को प्रेषित की जा रही है।

3) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगति में पाया गया कि भू-अधिकार अभिलेख वितरण के लिये जिले में कुल **14021** आवेदन प्राप्त हुए थेजिसमें से **8235** में वितरण हो चुका है, **5876** प्रकरण निरस्त कर दिये गये हैं तथा लगभग **500** प्रकरण लंवित हैं। उक्त प्रगति से परिलक्षित

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

होता है कि प्रकरण निरस्तीकरण का ऑकड़ा अधिक है, इन प्रकरणों में पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। प्रगति बढ़ाने के लिये निर्देशित किया गया।

4) अवयस्क बालिका कुमारी पूर्णिमा ठाकुर छिन्दवाड़ा को अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सहायक आयुक्त द्वारा बताया गया कि बालिका को नियमानुसार सहायता राशि वितरण में विलंब हुआ है। विलंब के कारण भी सूचित किये गये। पुलिस विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पीड़िता के पालकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे। प्राप्त होने पर कलेक्टर आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा को प्रकरण भेजदिया गया। कलेक्टर कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण जिला समिति में स्वीकृत किया गया तदुपरांत वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण ग्लोबल बजट उपलब्ध नहीं था जिसकी वजह से भी विलंब हुआ है।

5) समीक्षा में सहायक आयुक्त द्वारा मौखिक बताया गया कि अब पीड़िता की सहायता राशि उसके खाते में जमा करा दी गई है। उल्लेखित है कि इस प्रकरण में मुझे शिकायत प्राप्त होने पर यह प्रकरण मेरे द्वारा आयोग में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर आयोग द्वारा पत्र कमांक- आरकेटी/1/2017/एसटीजीएमपी/एटीआरएपीई/आरयू-3/दिनाँक 21 मार्च 2017 के द्वारा कलेक्टर छिन्दवाडा को पत्र जारी किया गया था।

6) गुडेरा अहीर (अहीर) जाति को गौंड गोवारी अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रदान करने एवं राजस्व अभिलेखों में सुधार करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन मेरे द्वारा आयोग में प्रस्तुत किया गया था जिसके पालन में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा ने बताया गया कि कलेक्टर छिन्दवाड़ा के माध्यम से सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला छिन्दवाडा को नियमानुसार आवयश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिनाँक 13 अप्रैल 2017 को जारी कर दिये गये हैं।

7) मेरे दिनाँक 19 जनवरी 2017 से 25 जनवरी 2017 तक छिन्दवाड़ा जिले के प्रवास की आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं, जिसमें प्रवास के समय प्राप्त विभिन्न समस्याओं, आदिवासियों की माँग इत्यादि का उल्लेख तथा अनुशंसाएँ की गई थी। इस प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा द्वारा अपने पत्र कमांक 1251 दिनाँक 25 मार्च 2017 द्वारा भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसमें बिन्दुवार प्रगति प्रस्तुत की गई है। **<u>प्रतिवेदन पृथक से परिशिष्ट अ में संलग्न है।</u>**

8) प्रवास के समय विभिन्न प्रकार के आवेदन कुल 43 जो कि मुझे प्राप्त हुए थे वे मेरे द्वारा आयोग में प्रस्तुत किये गये थे, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या Chhindwara/1/2017/stgmp/vividh/ro-bhदिनाँक 10 मार्च 2017 माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले को भेजे गये थे। इन पत्रों के पालन में मौखिक में अवगत कराया गया कि सभी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवगत कराया जावेगा।

9) विश्राम भवन छिन्दवाड़ा में पूर्व सूचना अनुसार अनुसूचित जनजाति संगठनों के प्रतिनिधि, सदस्य एवं अन्य नागरिकगणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनी गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा, राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर उनकी भूमि पर अपना दर्ज कराने, की शिकायतें प्रस्तुत की गई। शिकायतों का गहन अध्ययन किया गया जो प्रकरण आयोग में शिकायत / अपील के रूप में स्वीकार करने के योग्य पाए गए हैं उन्हें पृथक से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें कार्यवाही अपेक्षित है।

10) छिन्दवाडा जिले के सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक, छिन्दी तामिया जिला छिन्दवाडा के शाखा प्रबंधक, द्वारा आदिवासी हितग्राही से रिश्वत की मांग करने की शिकायत को गंभीर शिकायत पाया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक छिन्दवाडा एवं कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र लिखा गया है। इस प्रकरण में आवेदक श्री हरिप्रसाद सरयाम गाम बातरा पंचायत हर्राकछार छिन्दी तामिया जिला छिन्दवाड़ा एवं अन्य 15 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

11) छिन्दवाडा में आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी श्री आशाराम के ट्रस्ट द्वारा शक्ति ट्रस्ट के रूप में हथियाने की शिकायत भी प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्त्ताओं को सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ आयोग में संपर्क के लिये सलाह दी गई है।

12) रात्रि में समस्त जनजाति समाज ग्राम नौलाखापा तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा आयोजित निर्धारित कार्यक्रम **जनजाति विशाल सँस्कृतिक सम्मेलन** में भाग लिया गया। इस अवसर पर अपने उदबोधन में आदिवासियों को जागरूक करने, अपनी सँस्कृति जो कि प्राचीन में महान सँस्कृति में मानी जाती थी उसे जीवित रखने, अपनी भाषा से अपनी आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने, शिक्षित होने, नशा छोड़ने के संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया गया। एट्रोसिटी एक्ट शासकीय योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

13) इस अवसर पर मेरे द्वारा उपस्थित आदिवासी जन समूह को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया किन्तु खेद को विषय यह है कि जिन व्यक्तियों के लिये आयोग कार्य करता है उन्हें ही इस आयोग के बारे में ज्ञान नहीं है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग केवल पढ़े लिखे शहरी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आदिवासियों, जिन्हें की आदिवासियों के सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं के लिये रह गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग का जो साहित्य है वह आदिवासियों की भाषा जन जन की भाषा में उपलब्ध नहीं है। इस पर गहन चिंतन कर यह विचारने की आवश्यकता है कि आयोग आम जनजाति के गरीब सुदूर अंचल में निवासरत व्यक्ति तक कैसे पहुॅच कर उसे लाभांवित कर सके।

14) इस अवसर पर जनजाति समाज के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि श्रीमती उर्मिला भारती, अध्यक्ष भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण तामिया, श्री कमलेश उइके, जिला पंचायत सदस्य, जिला छिन्दवाड़ा, श्री शांतिराज उइके श्री छोटू उइके, श्री टी आर कुमरे जी मजिस्ट्रेट, श्रीमती उर्मिला तेकाम, इत्यादि व्यक्ति एवं क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला पुरूष उपस्थित थे।

दिनॉंक21/05/2017 - SUNDAY

रविवार शासकीय अवकाश।

दिनॉंक22/05/2017 - MONDAT

15) अवकाश, स्वंय के निवास पर जिले से आने वाले गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की गई।

दिनॉंक23/04/2017 - TUESDAY

16) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार छिन्दवाडा से नागपुर होते हुए दिल्ली के लिये प्रस्थान ।

सुश्री अनुसुईया उइके
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनॉंक 30 मई 2017

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi